बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

पत्रांक 6/L.E.C.-873/A

प्रेषक,

श्री रमाशंकर तिवारी,
सरकार के सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
बिहार,पटना।

सेवा में

1-सचिव/संयोजक,
महिला महाविद्यालय,
अररिया,पूर्णियाँ।

2-प्रभारी प्राचार्य,
महिला महाविद्यालय,
अररिया,पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक 21/9/88

महाशय,

महिला महाविद्यालय,अररिया,पूर्णियाँ को मात्र कला संकाय के निम्नांकित विषयों में सत्र 1987-89 से तीन वर्षों के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ वित्तीय भार रहित प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

कला संकाय:- हिन्दी,अंग्रेजी,इतिहास,उर्दू,मनोविज्ञान,तर्कशास्त्र,राजनीतिशास्त्र,अर्थशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र,गृह विज्ञान,गणित,संस्कृत,मैथिली,संगीत एवं फारसी।

प्रस्वीकृति के संबंध में यह भी सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम(बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्,नियमावली 1981) की कंडिका(4) में उल्लिखित शर्तों में से निम्न शर्तों की पूर्ति महाविद्यालय द्वारा की जाय।

(1) महाविद्यालय का अपना भवन एक वर्ष के अन्दर तैयार किया जाय।

(2) छात्राओं की संख्या में वृद्धि लायी जाय।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति के बाद ही आगे प्रस्वीकृति अवधि के विस्तार पर विचार किया जायगा।

निरीक्षण के क्रम में यदि यह पाया गया कि शर्तों की पूर्ति संबंधी दी गयी सूचना गलत है तो प्रस्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। जिसकी सारी जिम्मेवारी कॉलेज के संचालकों पर होगी। उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति प्रतिवेदन यथा शीघ्र किया जाय।

प्रभारी प्राचार्य

विश्वासभाजन

(रमाशंकर तिवारी)
सरकार के सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
बिहार,पटना

अनु - ०५

पत्रांक BIEC-143/A

रूद्र नारायण झा,
सचिव,
बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद,
[illegible], पटना

सेवा में,

1- सचिव/संयोजक,
महिला महाविद्यालय, अररिया, पूर्णियाँ ।

2- प्रभारी प्राचार्य,
महिला महाविद्यालय, अररिया, पूर्णियाँ ।

पटना, दिनांक 27/3/90

महाशय,

महिला महाविद्यालय, अररिया, पूर्णियाँ को परिषद के द्वारा पूर्व में परिषद के पत्रांक बी.आई.ई.सी.-879/ए दिनांक 21-9-88 के द्वारा कला संकाय में सत्र 1987-89 से तीन सत्रों के लिए वित्तीय भार रहित प्रस्वीकृति प्रदान की गयी थी । पुन: विज्ञान संकाय के निम्नांकित विषयों में निम्न शर्तों के साथ सत्र 1989-91 से दो सत्रों के लिए वित्तीय भार रहित प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है -

विज्ञान संकाय - भौतिकी, रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित एवं सांख्यिकी ।

प्रस्वीकृति के संबंध में यह भी सूचित करना है कि राज्य सरकार के द्वारा बनाये गये नियम बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद नियमावली 1981 की कंडिका 4 में उल्लिखित शर्तों में से निम्न शर्तों की पूर्ति की जाय ।

1- सुरक्षित कोष की शेष राशि एक माह के अन्दर जमा कर दिया जाय अन्यथा प्रस्वीकृति स्वत: निरस्त समझा जायगा ।

निरीक्षण के क्रम में यदि यह पाया गया कि शर्तों की पूर्ति से संबंधी दी गयी सूचना गलत है तो प्रस्वीकृति बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है जिसकी सारी जिम्मेवारी कालेज के संचालकों पर होगी ।

विश्वासभाजन

(रूद्र नारायण झा)
सचिव

पृ० पृ० उ०